

आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

पत्रांक:- पं0नि0 30-171/2021

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

—सह—

जिला पदाधिकारी

औरंगाबाद, जहानाबाद, सारण, गोपालगंज,
बेतिया, शिवहर, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय,
लखीसराय, शेखपुरा, जमूई एवं बांका

पटना, दिनांक—

विषय:— बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021— ई.वी.एम. की कमीशनिंग प्रखण्ड स्तर पर कराए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए निदेशानुसार ई.वी.एम. की कमीशनिंग का कार्य प्रखण्ड स्तर पर कराते हुए कमीशन्ड ई.वी.एम. को सुरक्षित उक्त हेतु अधिष्ठापित वज्रगृह में रखा जाना है। पुनः मतदान पूर्व ससमय ई.वी.एम. को गश्ती दल दंडाधिकारी को हस्तगत कराया जाना है। विदित हो कि आयोग द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत ई.वी.एम. की कमीशनिंग प्रखण्ड स्तर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यथा :-

- क. प्रखण्ड स्तर पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने मुख्यालय में कमीशनिंग के कार्य का सतत् पर्यवेक्षण अन्य विधिक कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ किया जाना संभव होगा।
- ख. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु सभा, जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहन आदि के आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त होगा जिसका त्वरित निष्पादन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
- ग. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन मुख्यालय में रहकर कराया जाना सहज एवं प्रभावी होगा।
- घ. कई प्रखण्ड जिला मुख्यालय से सुदूर अवस्थित होते हैं। प्रखण्ड स्तर पर कमीशनिंग एवं ई.वी.एम. का पी.सी.सी.पी. को वितरण किए जाने से गश्ती दल दंडाधिकारी का ससमय मतदान केन्द्रों पर पहुँचना संभव होगा।

- ड. तैयार ई.वी.एम. का सुदूर प्रखण्ड में परिवहन विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं होगा।
- च. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान हेतु वाहनों की अधियाचना, अधिग्रहण एवं उपलब्धता मुख्यालय में रहकर किया जाना सरल होगा।
- अतएव अनुरोध है कि ई.वी.एम. की कमीशनिंग का कार्य प्रखण्ड स्तर पर ही कराए जाने एवं तत्संबंधी प्रस्ताव आयोग को भेजने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- पं0नि0 30-171/2021

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जिलों में अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- पं0नि0 30-171/2021 3542

पटना, दिनांक - 7.9.21

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

07/09/21

विशेष कार्य पदाधिकारी